न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
19 / 19	06.03.2019	10.01.2022

उनवान

1. कुर्शीद पुत्र फजरू जाति मेव निवासी धमूकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री संजय यादव वकील वादी की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–:निर्णयः–

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम धमूकड के हाल आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 09 रकबा 0–14 बिस्वा मिन वादी ने तत्कालीन राहिनान भूल्लू, सहसमल पुत्रान मलूका जाति मेव निवासी धमूकड से बाजाप्ता बाकब्जा जरिये इकरारनामा दिनांक 28.02.2007 को खरीद की हुई है जो आराजी विवादित आराजी है ।

विवादित आराजी रहन मुर्तहन कस्टोडियन भूमि है जिसके कि भुल्लू , सहसमल समभाग मेव राहिन व सुभान खां पुत्र उमराव खां मेव साकिन देह मुर्तहन दर्ज रिकार्ड है जिनके कि नाम का अंकन साबिक जमाबन्दी जागिराय सम्वत 2004 से 2011 के खाता सख्या 68 मे व जमाबन्दी जागिराय स0 2016 के खाता सख्या 83 मे व जमाबन्दी सम्वत 2000 के खाता सख्या 68 एवं जमाबन्दी सम्वत 2020 के खाता सख्या 227 मे भुल्लू , सहसमल मेवान साकिन देह राहिनान , सुभान खां पुत्र उमरखां मेव सा. देह मुर्तहन काश्त सहसमल मेव सा. देह राहिन दर्ज किया हुआ है तथा यही अंकन मिसल हकीयत भू. प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 के खाता सख्या 35 मे दर्ज हो रहा है खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 लगायत 32 मे भी उपरोक्त पुनर्रावति चली आ रही है।

चूंकी राहिनान ने इकरारनामा दिनांक 28.02.2007 के द्वारा अपने समस्त हकूक कब्जा काश्त गैर खातेदारी का बेचान वादी को किया हुआ है वादी आराजी का बौनाफाईड पर्चेजर विद कन्सीड्रेशन

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

विद पजैशन खरीद से काबिज वो दखिल चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त आराजी कब्जा के आधार पर आराजी मुतनाजा का बाई आपरेशन आफ ला काबिज काश्तकार खातेदार हो चुका है अतः वादी उपरोक्त इन्द्राज जमाबन्दीयात को हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बहैसियत खातेदार बाद कीमत भूमि अदा कर दर्ज कराने का अधिकारी है ।

अतः प्रार्थना है बाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हे. अर्थात 0–14 बिस्वा वाके ग्राम धमूकड जिसका की साबिक खसरा नम्बर 09 रकबा 0–14 बिस्वा वादी द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 28.02.2007 काबिज काश्तकार है राहिनान वो मुर्तहन का आराजी पर आज दिनांक कोई कब्जा नही है जो गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है ऐसी सूरत मे अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 एवं संशोधित नोटिफिकेशन 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस प्रकार की घोषणा वादी कराने का अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार ने कोई हित प्रभावित नही होना बताया है ।

वकील वादी ने साक्ष्य के शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 कुर्शीद, पी.डब्ल्यू 2 आमीन खां पेश किये । जो शामिल पत्रावली किये।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 0.18 हे. भूल्लु पुत्र सहसमल समभाग मेव राहिन सुभान खां पुत्र उमराव जाति मेव सा. देह मुर्तहन दर्ज रिकार्ड है मिलानक्षेत्रफल सम्वत 2029 के अवलोकन से हाल खसरा नम्बर 7 रकबा 0–14 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 9 रकबा 0–14 बिस्वा पैमूद हुआ है जमाबन्दी सम्वत 2000 के साबिक खसरा नम्बर 9 रकबा 0–14 बिस्वा मे भुल्लू सहसमल बहिस्सा बराबर हिस्सेदारान राहिनान सुभान खां वल्द उमराव मेव सा. देह मुरतहन सा. मुरतहन बिला हिसा शामला खुदकाश्त मीजान तहत सहसमल भुल्लू दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिससे यह बाखूबी साबित होता है कि आराजी राजस्व रिकार्ड मे राहिन मुर्तहनान की आराजी है राजस्व रिकार्ड के राहिनान भूल्लू पुत्र सहसमल पि. मलूका द्वारा जाति मेव निवासी धमूकड द्वारा आराजी उक्त के 0–14 बिस्वा का जर्ये इकरारनामा दिनांक 28.02.2007 के द्वारा विकय किया है मौके पर पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वादी का कब्जा काश्त है जिससे यह बाखूबी साबित होता है कि जर्ये इकरारनामा के आधार पर हस्तानान्तरित भूमि पर वादी का मौके पर कब्जा काश्त सिद्व होता है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी का आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 है. वाके ग्राम धमूकड तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है यदि वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा राजकोष कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहन मुर्तहन के नाम के समस्त अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
19/19	06.03.2019	10.01.2022

पर्चा डिकी

उनवान

1. कुर्शीद पुत्र फजरू जाति मेव निवासी धमूकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः—

1. श्री संजय यादव वकील वादी की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादी बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी का आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हे. वाके ग्राम धमूकड तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है यदि वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा राजकोष कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहन मुर्तहन के नाम के समस्त अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर

(देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

...राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान ...कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के ...परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1	आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद कुर्शीद नाम सरकार मु.न. 19/2019 निर्णय दिनांक 10.01.2022
2	खातेदार का नाम व पूर्ण पता	कुर्शीद पुत्र फजरू जाति मेव निवासी धमूकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3	तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4	राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम धमूकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5	भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हे. वाके ग्राम धमूकड तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6	लगान दर	खातानुसार
7	भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57576144 से राशि 2880 रू.(दो हजार आठ सो अस्सी रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57576022 से राशि 1440 रू.(एक हजार चालिस रूपये मात्र) मद सख्या 0049

यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर मे दर्ज रहन मुर्तहन के समस्त अंकन पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दिनांक :- 21/01/22

.../सम/2021/1541-44

प्रति-

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी कुर्शीद पुत्र फजरू जाति मेव निवासी धमूकड तहसील किशनगढबास जिला अलवर...
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

3 प्रतियां
प्राप्त की।
...

(देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप